मध्यप्रदेश शासन
ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल-462004
--==0==--

क्रमांक एफ-3-7/52-2/98 भोपाल, दिनांक 27/1/01

प्रति,

आयुक्त,
हाथकरघा
म0प्र0 भोपाल ।

विषयः- पावरलूम सेवा केन्द्रों को बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान सहायता नियम 2000 का अनुमोदन ।

सन्दर्भः- आपका पत्र क्र. हा./टेक्स/पी0एस0/नियम-32/98-99/8579 दिनांक 2-12-1998.

राज्य शासन इससे संलग्न पावरलूम सेवा केन्द्रों को बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान सहायता नियम, 2000 का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान करता है कि यह नियम इसके जारी होने के दिनांक से लागू होंगे ।

2/- यह अनुमोदन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक ...4/83/2001/B-8/...512............ दिनांक 19-1-2001 द्वारा महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(पुरुषोत्तम शर्मा)
अवर सचिव
म0प्र0शासन, ग्रामोद्योग विभाग

पृ0क्र0एफ-3-7/52-2/98 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः-

1/- सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर अतिरिक्त प्रतियां संलग्न कर महालेखाकार म0प्र0ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित।

2/- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम म0प्र0ग्वालियर ।

3/- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम म0प्र0 ग्वालियर ।

अवर सचिव
म0प्र0शासन, ग्रामोद्योग विभाग

सेवा केन्द्रों को बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान (सहायता) नियम १९९८

" नियम "

ये नियम पावरलूम सेवा केन्द्रों को बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान (सहायता) नियम १९९८ कहलायेंगे।

उद्देश्य :— प्रदेश के पावरलूम उद्योग के पुर्नजीवन तथा विकास के लिये नवीन बुनकरों को प्रशिक्षित करना है, ताकि प्रदेश के पावरलूम बुनकरों की संख्या में समुचित वृद्धि की जा सके तथा पावरलूम उद्योग में प्रशिक्षित व्यक्ति प्रवेश पाकर रोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा संचालित अथवा भारत सरकार द्वारा प्रदान वित्तीय सहायता से स्थापित पावरलूम सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जावेगा। प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद नवीन प्रशिक्षित बुनकर पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों में प्रवेश पाकर नियोजन प्राप्त कर सकेंगे अथवा व्यक्तिगत पावरलूम स्थापित कर बुनाई कार्य संपन्न कर सकेंगे।

परिभाषा :— पावरलूम सेवा केन्द्र से तात्पर्य भारत सरकार द्वारा संचालित अथवा भारत सरकार द्वारा प्रदान वित्तीय सहायता से स्थापित पावरलूम सेवा केन्द्र से है।

पात्रता भारत सरकार द्वारा संचालित अथवा भारत सरकार द्वारा प्रदान वित्तीय सहायता से स्थापित पावरलूम सेवा केन्द्रों को बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

सहायता का

योजना के अन्तर्गत पावरलूम सेवा केन्द्रों को निम्नानुसार सहायता प्रदान की जावेगी।

पावरलूम सेवा केन्द्र के भवन किराये हेतु अनुदान :—

भारत सरकार द्वारा संचालित अथवा भारत सरकार द्वारा प्रदान वित्तीय सहायता से स्थापित पावरलूम सेवा केन्द्र के लिये भवन की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जाना होती है। पावरलूम सेवा केन्द्र के लिये किराया मुक्त भवन की व्यवस्था न होने पर जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर से भवन किराये के भुगतान हेतु राज्य शासन द्वारा अनुदान प्रदान किया जावेगा।

(२) छात्रवृत्ति :–

प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण सत्र में रूपये २५०/- प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जावेगी। यह छात्रवृत्ति अनुदान राशि संबंधित जिले के सहायक संचालक / उप संचालक के पास सुरक्षित रहेगी तथा छात्रवृत्ति भुगतान हेतु आवश्यक राशि उनके द्वारा पावरलूम सेवा केन्द्र को दी जावेगी।

६. सहायता की शर्तें :–

पावरलूम सेवा केन्द्रों को बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान (सहायता) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति करने पर दी जावेगी।

(१) पावरलूम सेवा केन्द्र द्वारा वर्ष में तीन सत्र संचालित कर अधिकतम ४० प्रशिक्षार्थी प्रति सत्र के मान से वर्ष में १२० प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जावेगा।

(२) प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान सत्र समाप्ति पर ही किया जावेगा।

(३) पावरलूम सेवा केन्द्र के भवन किराये हेतु औचित्य प्रमाण पत्र जिलाध्यक्ष कार्यालय से प्राप्त करना होगा।

(४) सहायता हेतु पावरलूम सेवा केन्द्र को विधिवत् आवेदन पत्र सहायक संचालक/ उप संचालक, जिला हाथकरघा कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र प्रारूप परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार रहेगा।

(५) प्रशिक्षित व्यक्तियों का प्रशिक्षण अवधि के अन्त में परीक्षा (टेस्ट) लिया जावेगा। पावरलूम सेवा केन्द्र, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अपनी ओर से प्रमाण पत्र देंगे।

७. सहायता स्वीकृति के अधिकार :–

इन नियमों के अन्तर्गत पावरलूम सेवा केन्द्रों को नियम पांच में उल्लेखित पेटर्न के अनुसार सहायता स्वीकृत करने के लिये जिला योजना समिति के माध्यम से निम्नांकित अधिकारी सक्षम होंगे :

(अ) कलेक्टर	रू. २.०० लाख तक के प्रत्येक प्रकरण में
(ब) उप संचालक/सहायक संचालक	रू. ०.२५ लाख प्रत्येक प्रकरण में

सचिव,

[illegible]ंध :–

इन नियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन आदि के अधिकार राज्य शासन को होंगे, जो पावरलूम सेवा केन्द्रों को बंधक कारक होंगे।

यह योजना राज्य आयोजना के अन्तर्गत है।

अवर सचिव,
[illegible] शासन,
[illegible] विभाग.

सेवा केन्द्रों को बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान (सहायता) का आवेदन पत्र

"प्रारूप"

पावरलूम सेवा केन्द्र का नाम व स्थान

पावरलूम सेवा केन्द्र, भारत सरकार द्वारा संचालित है, अथवा भारत सरकार से सहायता प्राप्त होकर स्थापित है।

भारत सरकार द्वारा संचालित न किये जाने की स्थिति में संचालन संस्था का नाम।

	स्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि
गत वर्ष स्वीकृत अनुदान सहायता व उपयोग की गई राशि		
क) भवन किराए हेतु अनुदान		
i) प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति अनुदान		

गत वर्ष स्वीकृत सहायता की शेष अनुपयोगी राशि जिसका उपयोग आवेदित वर्ष में किया जाना है।

i) भवन किराये हेतु।

) प्रशिक्षण छात्रवृत्ति हेतु

वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित प्रशिक्षण सत्र व आवेदित छात्रवृत्ति राशि का विवरण

ांक	प्रस्तावित सत्र	प्रशिक्षार्थी संख्या	छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति राशि
	अप्रैल से जून			
	अगस्त से अक्टूबर			
	दिसम्बर से फरवरी			

वर्ष में आवेदित छात्रवृत्ति राशि :

वर्ष में आवेदित भवन किराया राशि :-

सचिव

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर